

31/12/25

पत्रां पेश है। मूल वाद पत्र अदम - हाजिरी
अदम पेशी में खारिज किया जा चुका
है। अतः प्रां पत्र 212 पास का चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। प्रां पत्र 212
प्रां इसी सर पर खारिज किया जाना
है। पत्रां फंसल बुमार होकर दाखिल
करने है।

